रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 14, 1970/चैत्र 24, 1892

No. 79] **NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 14, 1970/CHAITRA 24, 1892**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 14th April 1970

G.S.R. 646.—In pursuance of rule 96ZI of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Nos. 74/69-Central Excises, 79/69-Central Excises and 87/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, the Central Government hereby fixes for embroidery machines utilised for manufacturing embroidery in the piece, in strips or in motifs from each variety of fabrics specified in column (2) of the Table below, the rate of duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof:

THE TABLE

S. No.	Variety of base fabrics on which embroidery is made	Rate of duty per metre length of the machine per shift
1	2	3
		Rs.
1.	Cotton fabrics	9.50
2.	Rayon fabrics	9.50
3.	Nylon fabrics	19.00
4.	Woollen fabrics	19.00

Provided that,

(1) the aforesaid rate of duty per metre length of such machine per shift shall be in addition to the duty leviable under sub-item I of Item No. 19, or sub-item (1) of Item No. 21, or sub-item (1) of Item No. 22, as the case may be, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, on the base fabrics used in the manufacture of embroidery in the piece, in strips or in motifs;

(2) in respect of every such machine made prior to the 1st January, 1956, the rate of duty per metre length of the machine per shift as specified in the Table shall be reduced by twenty-five per cent;

(3) when different varieties of base fabrics are embroidered on a machine during the same shift, the rate of duty per metre length of the machine per shift shall be the highest rate applicable to the base fabrics embroidered during the said shift.

Explanation:

For the purposes of this notification:—

(i) "nylon fabrics" means fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the aforesaid Schedule and manufactured either wholly or partly from nylon, provided that the fabrics containing 40 per cent or more by weight of nylon and 60 per cent. or less by weight of rayon shall be deemed to be nylon fabrics.

(ii) "shift" means a period not exceeding eight hours working in a day, exclusive of rest interval, provided the work of the same kind is carried out by the same set of workers.

(iii) "the length of the machine" means the distance between the points provided for the first and the last needles of the rollers on such machine.

[No. 79/70-CE. F. No. 25/10/69-CX. 2.]

R. B. SINHA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1970

सा० का० नि० 646.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 य ञ के अनुसरण में तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाएं सं० 74/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 79/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 87/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट फैब्रिकों की प्रत्येक किस्म से टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कसीदा मशीनों के लिए, उसके स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर एतद्द्वारा नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	आधारिक फैब्रिकों की किस्म जिस पर कसीदा किया जाए	मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर शुल्क की दर
1	2	3
		रु०
1.	सूती फैब्रिक	9.50
2.	रेयन फैब्रिक	9.50
3.	नायलन फैब्रिक	19.00
4.	ऊनी फैब्रिक	19.00

परन्तु,

(i) ऐसी मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर पूर्वोक्त शुल्क दर उस शुल्क के अतिरिक्त होगी जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की यथास्थिति मद संख्या 19 की उप मद 1 या मद सं० 21 की उप मद (1) या मद सं० 22 की उप-मद (1) के अधीन उस आधारिक फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय हो जो टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा के विनिर्माण में उपयोग में लाया जाए ;

(ii) सारणी में विनिर्दिष्ट मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर शुल्क की दर, 1 जनवरी, 1955 के पहले बनी हुए ऐसी मशीन के बारे में 25 प्रतिशत घटा दी जाएगी ;

(iii) जब आधारिक फैब्रिकों की विभिन्न किस्मों पर एक ही पारी के दौरान किसी मशीन पर कसीदाकारी की जाए तो मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर शुल्क की दर उक्त पारी के दौरान कसीदाकारी किए गए आधारिक फैब्रिकों को लागू उच्चतम दर होगी।

स्पष्टीकरण —

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(i) "नायलन फैब्रिक" से वह फैब्रिक अभिप्रेत है जो पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 22 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आता है और या तो सम्पूर्णतः या भागतः नायलन से विनिर्मित है परन्तु भार के 40 प्रतिशत या अधिक नायलन और भार के 60 प्रतिशत या कम रेयन से बना फैब्रिक नायलन फैब्रिक समझा जायगा।

(ii) "पारी" से विश्राम अन्तराल को छोड़कर एक दिन में काम करने के आठ से अनधिक घंटों की कालावधि अभिप्रेत है परन्तु यह तब जब एक ही प्रकार का काम कर्मकारों के एक ही संवर्ग द्वारा किया जाए।

(iii) "मशीन की लम्बाई" से ऐसी मशीन पर के मेलनों की प्रथम और अन्तिम सुईयों के लिए व्यवस्थित बिन्दुओं के बीच की दूरी अभिप्रेत है।

[सं० 79/70 के० उ० शु० फा० सं० 25/10/69 के० उ० शु०—2]

आर० बी० सिन्हा, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970